बिहार सरकार
कृषि विभाग

निविदा

कृषि विभाग के विभागीय प्रकाशनों को मुद्रित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014–2015 के शेष समय एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अनुभवी एवं ख्याति प्राप्त मुद्रकों/ आपूर्त्तिकर्त्ता प्रतिष्ठानों का पैनल तैयार करने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ अलग–अलग सील बंद लिफाफों में निविदा, शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से दिनांक 30 जनवरी, 2015 तक कार्यालय, उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, मीठापुर फार्म, पटना में संध्या 06:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। तकनीकी निविदाएँ दिनांक 05 फरवरी, 2015 को 11:00 बजे पूर्वा0 में क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा की शर्तों एवं विशिष्टताओं के संबंध में जानकारी विभागीय वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in से प्राप्त की जा सकती है और इसके संबंध में किसी भी तरह की जानकारी हेतु उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, मीठापुर फार्म, पटना कार्यालय में सहायक कृषि निदेशक (सूचना) से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

(धर्मेन्द्र सिंह) 29/12
कृषि निदेशक, बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या......01......सू0/,कृ0 पटना, दिनांक 01.01.15 ~~2014~~

प्रतिलिपिः– **निदेशक**, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

निविदा की शर्ते–

1. सभी सामग्रियों का ले आउट डिजाईन, प्रकाशन सामग्री का संकलन, संपादन, प्रुफ शोधन, फोटोग्राफी संकलन, प्रकाशन, बाइन्डिंग, पैकिंग तथा प्रयुक्त होने वाले कागज सहित मुद्रण आपूर्तिकर्त्ता को करना होगा, जिसका अनुमोदन विभाग से कराना होगा।
2. विभागीय प्रकाशन 'ए' ग्रेड बलारपुर पेपर मिल अथवा समकक्ष के कागज पर करना होगा, जिसका नमूना उत्पादक कम्पनी के नाम के साथ तकनीकी निविदा के साथ संलग्न होगा, जिसके प्रत्येक नमूना पर उत्पादन कम्पनी का नाम एवं प्रतिष्ठान की सील के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
3. विभागीय प्रकाशन का बाइन्डिंग उत्तम किस्म का होना चाहिए।
4. निविदादाता को समान प्रकृति के कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
5. निविदादाता को आयकर दाता होने का कम से कम तीन वर्षों का अद्यतन प्रमाण पत्र (आयकर रिर्टन की प्रति) तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता को बिहार राज्य के वैट/वाणिज्य कर विभाग में निबंधित होना चाहिए।
7. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 20 लाख रूपये प्रति वर्ष होना चाहिए जिसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में देना होगा। ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से होना चाहिए, जो पटना में भुगतेय हो।
9. निविदा द्विलिफाफा प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय निविदा के रूप में अलग–अलग लिफाफा में उसके ऊपर तकनीकी/वित्तीय अंकित कर देना होगा।
10. आपूर्ति की गई मुद्रित विभागीय प्रकाशन में किसी अशुद्धि/त्रुटि/अस्पष्टता/कमजोर बाइन्डिंग/गुणवत्ता में कमी/ससमय आपूर्ति में विफलता आदि की स्थिति में भुगतेय राशि से यथोचित कटौती कर ली जायेगी।
11. उपर्युक्त सभी शर्तों एवं उपबंधों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा किसी एक भी शर्त/उपबंध को किसी समय पूरा नहीं करने की स्थिति में उक्त निविदा रद्द कर दिया जायेगा एवं सफल निविदादाता का कार्य आवंटन रद्द करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।
12. चयनित निविदादाता मुद्रित विभागीय प्रकाशन कार्य आदेश करने वाले कार्यालय के भंडार को आपूर्ति करनी होगी। इसके लिए अलग से कोई राशि भुगतान नहीं होगा।
13. निविदा में किसी शर्त को पूरा करने पर या अधूरी/अस्पष्ट निविदा होने पर उसपर विचार नहीं किया जायेगा।
14. सभी अथवा किसी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/रद्द करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
15. विभागीय प्रकाशन के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी हेतु उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, मीठापुर फार्म, पटना कार्यालय में सहायक कृषि निदेशक (सूचना) से सम्पर्क किया जा सकता है।
16. निविदा को विभागीय बेबसाइट **www.krishi.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना